तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
30/11/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट रूम में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के विपक्षीगण के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण से पत्रावली पर बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय तुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

दिनांक : 5/10/23

मांक: वाद / 2023 / 1249

प्रार्थीगण — बनाम — विप्रार्थीगण

ओमप्रकाश वगैरा — **चूना वगैरा**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं......63 / 2023..

निर्णय दिनांक :– **03.10.2023**

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **गोगाजी का मन्दिर छोटू** के खेत खसरा नम्बर 307 रकबा 7.4786 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक, नोखड़ा**.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....500/–...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

क्रमांक: वाद / 2023 / 1250-51 — दिनांक : 5/10/23

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार नोखड़ा
2. थानाधिकारी.......... RGT रावली नाडी नगर
3. भू–अभिलेख निरीक्षक **नोखड़ा**
4. हल्का पटवारी....**छोटू..** को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.........**ओमप्रकाश वगैरा**
6. विप्रार्थीगण.....**चूना वगैरा....**

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 63 / 2023

प्रार्थीगण :–

1. ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल
2. नेनू पत्नी बंशीलाल
3. मुकेश पुत्र बंशीलाल
4. मांगीलाल पुत्र बंशीलाल
5. चूनाराम पुत्र ठाकराराम
6. प्रतापाराम पुत्र ठाकराराम
7. भगवानाराम पुत्र ठाकराराम
8. रामकिशन पुत्र ठाकराराम के फौत होने से जायन्दा वारिशान
   कायम मुकाम 8/1 अनाराम पुत्र स्व. रामकिशन
   8/2 देवीलाल पुत्र स्व. रामकिशन
   8/3 पालूदेवी पत्नी स्व. रामकिशन
9. हिरकनराम पुत्र ठाकराराम
   जाति विश्नोई निवासी गोगाजी का मन्दिर छोटू, ग्राप छोटू, तहसील नोखड़ा, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. चूना पुत्र गुणेशा
2. किशनाराम पुत्र कानाराम
3. गोमाराम पुत्र कानाराम
4. देदाराम पुत्र कानाराम
5. दीपाराम पुत्र कानाराम
6. मूलाराम पुत्र कानाराम
7. धनाराम पुत्र हिमताराम
8. पप्पू कुमार पुत्र हिमताराम
9. हनुमानराम पुत्र हिमताराम जाति जाट, निवासी गोगाजी का मन्दिर छोटू, ग्राम पंचायत छोटू, तहसील नोखड़ा, जिला बाड़मेर।
10. किशना पुत्र जगमाल
11. देउ पत्नी जगमाल
12. माना पुत्र जगमाल
13. हडमान पुत्र जगमाल जाति विश्नोई, निवासी गोगाजी का मन्दिर छोटू, ग्राम पंचायत छोटू, तहसील नोखड़ा, जिला बाड़मेर।
14. अगरी पत्नी सोना
15. खेता पुत्र सोना
16. खूमा पुत्र सोना
17. गिरधारीराम पुत्र घमण्डा
18. फूसा पुत्र सोना
19. लादूराम पुत्र घमण्डा
20. हडमान पुत्र रावता जाति नाई निवासी गोगाजी का मन्दिर छोटू, ग्राम पंचायत छोटू, तहसील नोखड़ा, जिला बाड़मेर।
21. चम्पालाल पुत्र भगवानाराम
22. डूंगराराम पुत्र भगवानाराम
23. बाबूलाल पुत्र भगवानाराम
24. लक्ष्मण शर्मा पुत्र घेवरराम
25. विरेन्द्र कुमार पुत्र घेवरराम
26. सोहनीदेवी पत्नी घेवरराम जाति ब्राह्मण, निवासी एड छोटू, ग्राम पंचायत छोटू, तहसील नोखड़ा, जिला बाड़मेर।
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखड़ा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित

1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **विप्रार्थीगण –एकतरफा**

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 03.10.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा गोगाजी का मन्दिर छोटू के खेत खसरा नम्बर 307 रकबा 7.4786 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा गोगाजी का मन्दिर छोटू के खेत खसरा नम्बर 307 रकबा 7.4786 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नोखड़ा को 500/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नोखड़ा को थानाधिकारी पुलिस थाना आर.जी.टी. नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नोखड़ा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 3/10/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी